

**कार्यालय कलेक्टर, जिला-सूरजपुर एवं पदेन उप-सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

अधिसूचना

क्रमांक ..१४०...../भू-अर्जन/2021

सूरजपुर दिनांक- 02/03/2022

**भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम 2013 की धारा-8 सहपठित नियम 26 के अन्तर्गत :-**

—00—

सरगुजा रेल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा रेलवे लाइन के निर्माण हेतु जिला सूरजपुर अन्तर्गत तहसील रामानुजनगर के ग्राम रामानुजनगर के कुल 04 खातेदारों की कुल रकबा 0.1531 हे० निजी भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 777/भू-अर्जन/2022 सूरजपुर दिनांक 17.02.2022 के द्वारा श्री वहिदुर्रहमान, डिप्टी कलेक्टर सूरजपुर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। उक्त के आलोक में विशेषज्ञ समूह के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

मूल्यांकन प्रतिवेदन के माध्यम से विशेषज्ञ समूह द्वारा सरगुजा रेल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड के रेलवे लाइन निर्माण हेतु जिला सूरजपुर अन्तर्गत तहसील रामानुजनगर के ग्राम रामानुजनगर के कुल 04 खातेदारों की भूमि का कुल रकबा 0.1531 हे० के अर्जन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य सभी प्रासंगिक अभिलेखों के अवलोकन एवं विचारोपरांत निष्कर्ष निम्नानुसार है -

1. प्रस्तावित अर्जन के संबंध में एक विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण प्रस्तावित भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।
2. परियोजना के सामाजिक व्यय एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य लाभ अधिक है।
3. परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है।
4. इस परियोजना के लिए ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका ग्राम रामानुजनगर में पूर्व अर्जन किया गया है।
5. भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (2) के परन्तुक आधीन अपेक्षित प्रभावित कुटुम्बों की पूर्व सहमति विहित रीति एवं निर्धारित प्रारूप में अभिप्राप्त कर ली गई है।

.....2

//2//

अतएव विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा के आधार पर (क) शून्य विस्थापन (ख) अधोसंरचना पर न्यूनतम बाधा (ग) पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करते हुये सरगुजा रेल कॉरिडोर प्रा०लि० के द्वारा रेलवे लाइन के निर्माण हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन के संलग्नक में दर्शाये अनुसार जिला सूरजपुर अन्तर्गत तहसील रामानुजनगर के ग्राम रामानुजनगर के कुल 04 खातेदारों की 0.1531 हे० निजी भूमि का "भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" एवं प्रासंगिक नियमों के अनुसार अर्जन का विनिश्चय किया जाता है।


कलेक्टर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक.....१४०/भू-अर्जन/2022

सूरजपुर, दिनांक- ०२/०३/२०२२

प्रतिलिपि:-

1. अनुविभागीय अधिकारी, सूरजपुर।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सूरजपुर/भू-अर्जन शाखा, जिला कार्यालय, सूरजपुर को अधिसूचना की एक-एक प्रति जिले के वेबसाइट पर तथा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा को अधिसूचना की प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. तहसीलदार, रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामानुजनगर, जिला सूरजपुर।


कलेक्टर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)